कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत्त दूदू जिला जयपुर ग्रामीण।।

कमांक : 597 दिनांक : 15/02/2021

राज0 सम्पर्क पोर्टल,
सी0एम0 हेल्पलाईन 181
राज0।

विषय : जॉच रिपोर्ट राज0 संपर्क परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी एस–1 झारखण्ड अपार्टमेंट , झारखण्ड मोड खातीपुरा जयपुर जिला जयपुर शहर के कम में।

प्रसंग : राजस्थान सम्पर्क पत्र 01210679363856 दिनांक 04.02.21 की पालना में

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में निवेदन है कि सम्पर्क पोर्टल पर एक परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार का एक परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि, **दिनांक 28/01/2021 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक "8 महीने से पूछताछ करके परेशान कर रही थी पुलिस...थाने में बुजुर्ग की मौत" के सम्बन्ध में ।**, आदि परिवाद प्राप्त हुआ। परिवाद का अवलोकन किया गया। परिवाद में जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही करने एवं रिपोर्ट से अवगत कराये जाने हेतु परिवाद थानाधिकारी फागी के पास भिजवाया गया। थानाधिकारी से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गयी। थानाधिकारी ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अंकित किया है कि, दिनांक 25.01.2021 को परिवादिया श्रीमति कमलेश देवी पत्नि श्री मनोहर लाल जाति बैरवा उम्र 45 साल निवासी 160/34 प्रतापनगर थाना सदर सांगानेर जिला जयपुर ने अपने पति श्री मनोहर लाल के साथ उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरे पिताजी श्री खेमचन्द जी बैरवा को पुलिसवालो ने फोन करके थाने पर बुलाया आज दिनांक 25.01.2021 को सुबह मेरे पास प्रताप नगर सांगानेर से थाने में लगभग 1 बजे आये थे बीच में लगभग 3 बजे उनसे फोन पर मेरी बात हुई थी जब से कह रहे थे मुझे आज क्या मालुम न्याय मिलेगा या नही मेरे भाई भारत पुत्र दत्तक पुत्रद्ध खेमचन्द बैरवा निवासी नारीखेडा का इनका विवाद चौरी जमीन जायदाद का था। और मेरे पिताजी कह रहे थे कि जांच अधिकारी भारत को चाय पानी पिला रहा हैं और मुझे मानसिक रुप से प्रताडित कर रहा है और भारत की पूरी पैरवी कर रहा उक्त समय पर बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पिताजी काफी डरे हुए थे और मानसिक रुप से परेशान लग रहे थे। बाद इसके 5.27 बजे थाना फागी से सूचना आई कि आपके पिताजी नही रहे मुझे पुरी आंशका है कि जांच अधिकारी व भारत उसकी पत्नि की मिलीभगत होने व जांच अधिकारी के मानसिक प्रताडना की वजह से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई अतः श्रीमान से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर मुझे न्याय दिलाने की कपा करे । आदि पर मुकदमा नम्बर 63/2021 धारा 306 भादस में अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया ।

दौराने अनुसंधान बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी परिवादिया श्रीमती कमलेश देवी के लेखबद्ध किये गये। मृतक श्री खेमचन्द की लाश का रूबरू गवाहान के समक्ष फर्द पंचायतनामा मुर्तिब किया गया तथा लाश के निरीक्षण के दौरान मृतक के द्वारा पहने हुये पार्चेजात की जेबों में मिली इलाज से सम्बंधित पर्ची, दवाईयों व अन्य सामान को जब्त किया जाकर फर्द मुर्तिब की गई। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई, परिवादी पक्ष व आरोपी भरत के मध्य थाना हाजा पर पुर्व में दर्ज करवाये गये अभियोग संख्या 642/2019, 454/2020 तथा 473/2020 की एफ.आई.आर. व नतीजा रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण हाजा में अब तक के अनुसंधानए बयान परिवादियाए फर्द जब्ती दवा पर्चीए फर्द पंचायतनामाए प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह तथ्य सामने आये कि थाना हाजा के ग्राम नारी खेडा के निवासी श्री खेमचन्द पुत्र श्री भुराराम जाति बैरवा ने दिनांक 22/10/96 को अपनी साली श्रीमति पार्वती देवी के पुत्र श्री भारत को गोद लिया था । खेमचन्द के दो पुत्रीया है जो शादी होकर ससुराल में निवासरत है । भारत की शादी करते समय खेमचन्द ने अपने दत्तक पुत्र भारत के नाम 16 बीघा जमीन नाम करवा दी तथा 8 बीघा जमीन स्वंय खेमचन्द के पास रख ली थी। खेमंचन्द व उसकी पत्नि नानगी देवी राजीखुशी अपने दत्तक पुत्र भारत के पास रह रहे थे। खेमचन्द की पुत्री कमलेश देवी के मन में अपने पिता के नाम 8 बीघा जमीन को अपने नाम कराने का लालच आ गया जिस कारण अपने पिता खेमचन्द को बहकाना शुरु कर दिया जिसके चलते खेमचन्द का अपने पुत्र व पत्नि से मनमुटाव हो जाने के कारण अलग रहने लग गया तथा अपने दत्तक पुत्र व पुत्रवधु से छोटी-छोटी बातो को लेकर लडाई झगडा करना शुरु कर दिया। खेमचन्द द्वारा अपने दत्तक पुत्र भारत के साथ मारपीट कर देने के कारण

Scanned by CamScanner

दिनांक 14/09/2019 को पुत्रवधु माया देवी द्वारा अपने ससुर के विरुद्ध अभियोग संख्या 642/19 धारा 458,323,324,450,307 भादस में दर्ज करवाया गया उक्त प्रकरण में बाद अनुसंधान खेमचन्द बैरवा के विरुद्ध धारा 458,323,324,308 भादस का जुर्म पाया जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था जिसके विरुद्ध चार्जशीट नम्बर 270/19 धारा 458,323,324,308 भादस दिनांक 06/11/2019 की किता कर पेश न्यायालय की गई थी । उसके बाद दिनांक 20/03/2020 को खेमचन्द की पुत्री कमलेश देवी ने अपने पिता को बहला-फुसला कर उसके हिस्से की 8 बीघा जमीन व रिहायसी मकान स्वंय के नाम करवा लिया जिसका विरोध खेमचन्द की पत्नि नानगी देवी , पुत्र भारत व पुत्रवधु माया देवी ने किया व इनका घरेलु विवाद (मन-मुटाव) ओर ज्यादा हो गया तो खेमचन्द द्वारा पुर्व में अपने दत्तक पुत्र भारत के नाम 16 बीघा जमीन करवाई थी उसको वापस लेने के लिये दबाव बनाने की नियत से उसकी पुत्री कमलेश देवी के कहे अनुसार आये दिन अपने दत्तक पुत्र भारत के विरुद्ध बढा-चढा कर शिकायत करना शुरु कर दिया। खेमचन्द द्वारा अपने पुत्र भारत व पुत्रवधु माया के विरुद्ध वर्ष 2020 में 7 परिवाद थाना स्तर एवं उच्च अधिकारियो के समक्ष पेश किये तथा दत्तक पुत्र भारत द्वारा मृतक खेमचन्द के विरुद्ध वर्ष 2020 में अलग अलग 5 परिवाद पेश किये तथा एक परिवाद मृतक खेमचन्द की पुत्री कमलेश देवी द्वारा भी भारत के विरुद्ध पेश किया गया है । इनके अतिरिक्त मृतक खेमचन्द बैरवा ने अपने पुत्र भारत के विरुद्ध अभियोग संख्या 454/2020 धारा 342,323,379,504 भादस एवं अभियोग संख्या 473/2020 धारा 379,411 भादस में दर्ज करवाये दोनो प्रकरण में अनुसंधान से मामला झुठा पाया जाने पर एफआर नम्बर क्रमशः 145/2020 दिनांक 05/012/2020, 191/2020 दिनांक 25/12/2020 किता की गई । मृतक खेमचन्द अपने पुत्र भारत के नाम करवाई गई सम्पति को पुनः प्राप्त कर अपनी पुत्री कमलेश देवी के नाम करवाना चाहता था जबकी मृतक खेमचन्द की पत्नि नानगी देवी इस बात से सहमत नही है वह अपनी सम्पति का वारिश दत्तक पुत्र भारत को रखना चाहती है जो शुरु से उसके पास ही रहती आ रही है । इस प्रकार दोनो बाप-बेटे में जमीन जायदाद का मन-मुटाव चलता आ रहा है । दिनांक 25/01/2021 को भी दोनो पक्ष एक दुसरे के विरुद्ध पुर्व में पेश शुदा परिवादो के सम्बन्ध में एवं नये परिवाद पेश करने हेतु खुद चलकर थाना आये थे भारत के साथ उसकी माँ नानगी देवी पत्नि माया देवी व उसके दोनो बच्चे आये थे। मृतक खेमचन्द अपनी पत्नि, बटे बहु व पोतो को देखकर उनके साथ थाने से बाहर बैठ कर बातचीत कर विचार विमर्श कर रहा था जिनके आपसी विचार विमर्श से राजीनामा हो जाने पर सभी अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान मृतक खेमचन्द अचानक बहोश हो गया जिसको अविलम्ब ईलाज हेतु नजदिकी अस्पताल फागी भिजवाया गया। जहा पर चिकित्सको द्वारा मृतक का ईलाज शुरु किया गया जिसकी दौराने ईलाज मृत्यु हो गई। मृतक खेमचन्द के पंचायनतामा की कार्यवाही के दौरान पहने हुये पार्चेजात जेब में भी दवाईयों की पर्ची तथा टेबलेट मिली हैं, जिससे भी यह सामने आया है कि मृतक पुर्व से ही बिमार भी चल रहा था तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा अपनी राय में अंकित किया है कि "In our opinion of Board members primary mode of death is hsemorhagic shock caused due to rupture of lung blood vessels & Final opinion will be given after reports of viscera. प्रकरण हाजा में गहनता से अनुसंधान जारी है।

अतः परिवाद संदर्भ में रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर पेश है।

भवदीय

(विजय सिंहरा RPS)

पुलिस उप अधीक्षक

वृत दूदू

जिला जयपुर ग्रामीण

Scanned by CamScanner